न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज शिवराम बनाम तहसीलदार मु.नं. 12/23 (विविध)
	28.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 सशर्त स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/23	01.06.23	28.01.25

बउनवान

1. शिवराम मीना पुत्र स्व. किशनलाल निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
2. अमरचन्द मीना पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री शिवदत्त जैमिनी।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से, जरिये अभिभाषक श्री शिवदत्त जैमिनी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता सं. नई 230 पुराना 133 खसरा सं. 883/236 रकबा 0.13 हैक्टे., 888/445 रकबा 0.30, 891/17 रकबा 0.27 हैक्टे., एवं 896/446 रकबा 0.18 हैक्टे. कुल खसरे 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है जो वाके ग्राम ऐदलपुर, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में से प्रार्थी की आराजी के भूमि खसरा सं. 888/445 रकबा 0.30 हैक्टे. एवं 896/446 रकबा 0.18 हैक्टे. अप्रार्थी सं. 2 की आराजी भूमि के सटवा पूर्व दिशा में स्थित हैं। इसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं. 2 जोत लगाने के दिनों में प्रार्थी की आराजी भूमि में स्थिति मेड तोड कर अवैध तरीके से जोत लगाकर भूमि पर कब्जा कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता चला आ रहा है। प्रार्थी के मना करने पर अप्रार्थी सं. 2 लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाता है। प्रार्थी शांतिप्रिय व्यक्ति है इसका फायदा लेकर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी की काफी आराजी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रार्थी ने दिनांक 23.05.23 को अप्रार्थी सं. 2 को अपनी–अपनी आराजी की सीमा के निर्धारण हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी भूमि पर कब्जा लेने हेतु अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी सं. 2 व उनके परिजनों ने प्रार्थी की आराजी भूमि में क्षतिकारित करने व अवैध कब्जा करने की नीयत से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से इंकार कर दिया तथा खेत की मेढ़ को तोडने तथा लाठी, डंडों को लेकर प्रार्थी को मारने पर उतारू हो गये। अप्रार्थी सं. 2 ने ऐलानिया धमकी भी दी कि अब जोत लगाने पर मेढ़ तोडकर तेरी जमीन पर अधिक अवैध कब्जा करूंगा। कुछ समय उपरान्त खेतों में जोत लगने का

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

समय आ जावेगा और खेती बुवाई का समय भी हो जावेगा, तब पत्थरगढ़ी संभव नहीं हो सकेगी। पक्षकारान के मध्य कभी भी कोई अपूरणीय क्षति उक्त भूमि की सीमा को लेकर घट सकती है। अतः निवेदन है कि आराजी भूमि खसरा खसरा सं. 888/445 रकबा 0.30 हैक्टे. एवं 896/446 रकबा 0.18 हैक्टे. ग्राम ऐदलपुर, तहसील मण्डावर में स्थित आराजी भूमि जो अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी भूमि से पूर्व दिशा में सटवा है, पर पत्थरगढी के आदेश करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर में पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 883/236, 888/445, 891/17 एवं 896/446 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। आराजी खसरा सं. 445 ग्राम ऐदलपुर तहसील मण्डावर का दिनांक 15.07.22 को तहसीलदार मण्डावर द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि 888/445 एवं 896/446 की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 सशर्त स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 888/445 तथा 896/446 कुल रकबा 0.48 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी पहले अपने आराजी के सीमाज्ञान हेतु निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार मण्डावर के कार्यालय में आवेदन करे तथा निर्धारित रीति से सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रार्थी के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक हल्दैना को 1500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)